दिनांक : 13.11.2024 समय : 02.10PM

आकाशवाणी मध्यप्रदेस
प्रादेशिक समाचार

विधानसभा चुनाव

प्रदेश की दो विधानसभा सीटों बुधनी और विजयपुर में आज मतदान शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। विजयपुर में दोपहर एक तक 54.86 प्रतिशत मतदान हुआ है, वहीं बुधनी में दोपहर एक बजे तक करीब 51 प्रतिशत वोटिंग की खबर है। सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पैतृक गांव जैत में सपरिवार वोट डाला। गौरतलब है कि श्री चौहान इस सीट से विधायक थे, सांसद बनने के बाद उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया था। उधर विजयपुर में राम निवास रावत के भाजपा में शामिल होने के बाद उपचुनाव हो रहा है। श्योपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार कन्याल ने कहा है कि विधानसभा उप निर्वाचन के तहत एक समाचार चैनल पर मतदान केन्द्र पर फायरिंग की खबर तथ्यहीन है। उन्होंने कहा कि पुलिस एवं अधिकारियों के माध्यम से इस प्रकार का मामला संज्ञान में नही आया है।

झारखंड चुनाव

झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। इस चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान सवेरे 7 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चलेगा। 31 सीटों के 950 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर शाम 4 बजे समाप्त होगा। आज के मतदान में एक करोड़ 37 लाख से अधिक मतदाता 73 महिलाओं समेत 683 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। पूरे राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की दो सौ कंपनियां तैनात की गई हैं।

प्रधानमंत्री-बिहार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के दरभंगा में 12 हजार करोड रुपये से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए

दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स की आधारशिला भी रखी। इसका निर्माण 12 अरब 60 करोड रुपये की लागत से किया जाएगा। उन्होंने देश भर में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रो का उद्घाटन किया गया। इनसे रेलवे स्टेशनों पर सस्ती दवाईयां मिलेंगी और जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढेगी।

सर्वोच्च न्यायालय- बुलडोजर जस्टिस

"बुलडोजर कार्रवाई" को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उचित प्राधिकार के बिना किसी भी संपत्ति के विध्वंस को मनमाना समझा जाएगा। शीर्ष न्यायालय ने किया कि किसी आरोपी के अपराध को परिकल्पित नहीं किया जा सकता है और मनमाने ढंग से विध्वंस, शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन है। दो न्यायाधीशों की पीठ ने आज संपत्तियों के अनधिकृत विध्वंस को रोकने के लिए अखिल भारतीय दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। न्यायालय ने कहा है कि कारण बताओ नोटिस के बिना कोई विध्वंस नहीं होना चाहिए। यह नोटिस या तो स्थानीय नगरपालिका कानूनों द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर या सेवा की तारीख से 15 दिनों के भीतर में जो भी बाद में हो, वापस किया जाना चाहिए।

संक्षिप्त समाचार

1- जबलपुर उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि आधार कार्ड आयु का प्रमाण नहीं, बल्कि पहचान का दस्तावेज है।
2- शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन ने कल शिवपुरी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 5 और 6 का भ्रमण किया और यहां पर लोगों की समस्या सुनी।
3- अनूपपुर जिले के अमरकंटक में देवउठनी एकादशी के अवसर पर कल 25 हजार दीप प्रज्वलित किए गए।
4- विश्व निमोनिया दिवस के मौके पर कल नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में लोगों को निमोनिया से बचने के उपाय बताए गए।